गहलोतजी बेहतर जानते हैं, फोन टैप कैसे होते हैं : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टेलीफोन टैपिंग पर बयान और वर्तमान सरकार पर निशाना, ऐसा लगता है कि 'नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली'।

राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकार क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लोकेश शर्मा 5 वर्ष तक आपके ओएसडी रहे। दोनों के बीच फोन टैपिंग से संबंधित बातचीत का ऑडियो आज भी मीडिया के पास है। उस ऑडियो में वह इंस्ट्रूमेंट नष्ट करने

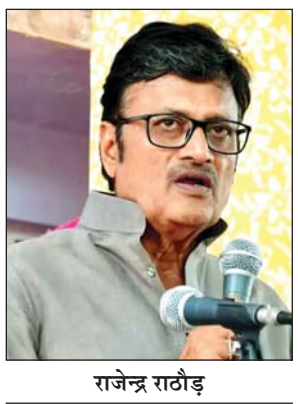

राजेन्द्र राठौड़

की बात कह रहे हैं।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गहलोत का ओएसडी कोर्ट में इकबालिया बयान देता है कि आपके निर्देश पर कई नेताओं के टेलीफोन टैप हुए। यह 'उल्टे बांस बरेली को' क्यों। यह सारी बात जनता समझती है।

■ 'कोर्ट में दिया ओएसडी का बयान क्यों भूल रहे गहलोत'

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग विधानसभा में सदन के नेता के बोलने पर विरोध कर रहे थे, सदन की गरिमा गिरा रहे थे। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेसी विधायक यह कहकर बाहर निकल गए कि दलित समाज से आने वाले नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया और वे कांग्रेस पार्टी की बात से सहमत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़ों-टुकड़ों में बटी है। यह पार्टी पांच सितारा होटलों में कैद रही, आज इनके पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है। यह चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह राजस्थान की जनता है सब जानती है। इनकी कलई पूर्व में खुल चुकी है। अच्छा रहता ये अगर अपने ओएसडी से बात कर लेते।

बार एसोसिएशन के सांस्कृतिक सचिव के निलंबन पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन के सांस्कृतिक सचिव पद से याचिकाकर्ता को निलंबित करने के आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और बार एसोसिएशन से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को दी बार एसोसिएशन की ओर से गत 27 जनवरी को पत्र भेजकर जानकारी दी गई कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उनकी ओर से किया गया व्यवहार घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

सुखोई के साथ राजीव प्रताप रूडी ने फिर भरी हौसलों की उड़ान

पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरते हुए अपनी उड़ान क्षमता और साहस का प्रदर्शन किया।

बेंगलुरु/जयपुर। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरते हुए अपनी उड़ान क्षमता और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने 12 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2025 एयर शो में 22,000 फीट की ऊँचाई पर 52 मिनट तक शानदार कलाबाज़ियाँ कीं।

■ एयरो इंडिया 2025 एयर शो, बेंगलुरु में 22,000 फीट की ऊँचाई पर 52 मिनट तक उड़ान

■ विंग कमांडर परमिंदर चहल के साथ टम्बल, लूप, बैरल रोल जैसे युद्धाभ्यास किए

रूडी ने उड़ान के अनुभव को रोमांचक बताते हुए कहा कि "सुखोई-30 एमकेआई उड़ाना एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। वाणिज्यिक पायलट के रूप में उड़ान भरने की आदत है, लेकिन इस युद्धक विमान को उड़ाना पूरी तरह से शक्ति, गति और सहनशक्ति की परीक्षा थी।" विंग कमांडर परमिंदर चहल (पैरी) के साथ उन्होंने टम्बल, लूप, बैरल रोल जैसे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले युद्धाभ्यास किए। उड़ान से पहले उन्होंने जी-सूट पहनकर सभी शारीरिक फिटनेस परीक्षण पूरे किए।एयर शो के दौरान रूडी ने भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमानों एसयू-35 तथा सुखोई-57 का प्रदर्शन भी देखा। साथ ही, उन्होंने भारतीय वायुसेना की विख्यात एरोबैटिक प्रदर्शन टीम 'सूर्य किरण' के शानदार हवाई करतबों को करीब से देखा। रूडी ने भारतीय वायुसेना के पायलटों की कुशलता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा, "भारतीय वायुसेना की ताकत और परिश्रम को सलाम। इनके रहते हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। रूडी ने कहा कि सूर्य किरण टीम को बिहार में आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि यह भारतीय वायुसेना की प्रमुख एरोबैटिक टीम है, जो अपने अद्वितीय हवाई कौशल और सटीक उड़ान प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। सूर्य किरण टीम कर्नाटक के बीदर एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित है और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एयर शो में कई शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। बिहार में इसके आगमन से युवा पीढ़ी को भारतीय वायुसेना के शौर्य और तकनीकी उत्कृष्टता को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। राजीव प्रताप रूडी एक लाइसेंसशुदा वाणिज्यिक पायलट हैं और पूर्व में भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। यह उनकी दूसरी सुखोई उड़ान थी, इससे पहले 2015 में भी वे सुखोई एमकेआई 30 में उड़ान भर चुके हैं। मालूम हो कि सुखोई लड़ाकू विमान 2600 किमी/घंटा की रफ़्तार से उड़ान भरने में सक्षम होते है। ये हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमला करने की क्षमता रखते है, साथ ही ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होने वाला पहला लड़ाकू विमान सुखोई है जिसमें हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है।

गौरतलब है कि रूडी एक लाइसेंसशुदा वाणिज्यिक पायलट हैं और पूर्व में भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। यह उनकी दूसरी सुखोई उड़ान थी।

एयर फोर्स स्टेशन जयपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया

जयपुर। एयर फोर्स स्टेशन जयपुर द्वारा 10 से 13 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवधि में यातायात नियमों की जागरूकता, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में फर्स्ट रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण, वॉकथॉन, निजी वाहनों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच जैसी पहल शामिल रहीं।

सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन आज एयर फोर्स स्टेशन जयपुर-जल महल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन एवं स्टेशन मास्टर विनय भारद्वाज की उपस्थिति रही।

समारोह के दौरान परिवहन निरीक्षक (आरटीओ) दिनेश सिंह फौजदार ने लाइसेंस प्रणाली और सड़क दुर्घटनाओं के घातक कारणों पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके अलावा, मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी की डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स नेहा खुल्लर ने सड़क सुरक्षा कानून और मोटर वाहन ड्राइविंग नियमों पर व्याख्यान दिया, जबकि मुस्कान फाउंडेशन के प्रशिक्षक समीर नैणावत ने यातायात संकेतों (साइनज) की महत्ता पर जागरूकता बढ़ाई। इस व्याख्यान में एयर फोर्स स्टेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, एयर फोर्स स्कूल के छात्रों को सड़क सुरक्षा पर पोस्टर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह का आयोजन गुरूवार को एयर फोर्स स्टेशन जयपुर-जल महल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन एवं स्टेशन मास्टर विनय भारद्वाज की उपस्थिति रही।

समापन समारोह में सभी उपस्थित लोगों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली, जिसमें उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

टेली-मानस और ई-संजीवनी स्वास्थ्य सेवाएं आमजन के लिए साबित हो रही है कारगर : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवाण कल्याण मंत्रालय की ओर से आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम(टेली-मानस) की 2022 में शुरूआत की। इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में 20 भाषाओं में 18 लाख से अधिक कॉल पर आमजन को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इतना ही नहीं, टेली मानस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए साल-दर-साल इनकी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। देश के 36 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में 53 टेली मानस प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी है। केंद्र ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर 10 अक्टूबर 2024 को टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन तक लॉन्च कर दी। इस एप्लिकेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों पर सहायता प्रदान की जा रही है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने यह जानकारी दी।

मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार ने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को शुरू किया था। इसके तहत टोल-फ्री नंबर 14416 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आमजन के मानसिक तनाव को दूर करने के साथ उनको मोटिवेट करना या उनके साथ संवाद स्थापित कर उनकी परेशानी को दूर करने के उपाय साझा करना इस कार्यक्रम में प्राथमिकता रहती है। टेली-मानस पर 24 घंटे सुविधा उपलबध है। इस दौरान परामर्श के साथ एकीकृत चिकित्सा और मनो सामाजिक अंतक्षेप भी प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार ने पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में भी एक टेली-मानस प्रकोष्ठ की स्थापना की है, ताकि सशस्त्र बल सेवा कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता के साथ प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करते हुए टेली मानस सेवाओं के साथ ई-संजीवनी सेवा भी देशभर में शुरू की है। इसमें चिकित्सक मरीज से वीडियो परामर्श के माध्यम घर पर ही उपचार प्रदान करता है। इसके साथ ही ई-संजीवनी एएएम के माध्यम से चिकित्सक अन्य चिकित्सक से टेली-परामर्श के माध्यम से मरीज को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। यह सेवा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है।

सी.एस. बताए मुकदमों के प्रभारी अधिकारियों की व्यवस्था सुधार के लिए क्या किया जा रहा है : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत में लंबित अधिकांश मामलों के प्रभारी अधिकारी पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी लापरवाही से अदालत को मामले की सुनवाई टालनी पड़ती है। प्रभारी अधिकारी कई मामलों में न तो संबंधित दस्तावेज सरकारी वकीलों को उपलब्ध करा रहे है और ना ही तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करते है। जिसके कारण सरकारी वकीलों को भी अदालत से समय मांगना पडता है। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वह शपथ पत्र पेश कर बताए कि इस व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया जा रहा है। अदालत ने मुख्य सचिव को यह भी आदेश दिए हैं कि वह सभी विभागों को निर्देश जारी करें कि कर्मचारियों पर की जाने वाली विभागीय कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश सरदार मल यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने महाधिवक्ता और प्रमुख विधि सचिव को भी कहा है कि वे विभागों के मुखियाओं को निर्देश दें कि वे विधि अधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों को जरूरत पडने पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहे। अदालत ने प्रभारी अधिकारियों को चेताया है कि यदि अब उनके सहयोग के अभाव में कोर्ट सरकार के खिलाफ आदेश देगी तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की होगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।

■ हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत में लंबित अधिकांश मामलों के प्रभारी अधिकारी पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनकी लापरवाही से अदालत को मामले की सुनवाई टालनी पड़ती है।

अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत याचिकाकर्ता को नवंबर, 2011 में चार्जशीट दी गई और मार्च, 2014 में जांच पूरी होकर रिपोर्ट भी सौंप दी गई, लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि करीब 12 साल बीतने पर भी अब तक उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। इसके लिए याचिकाकर्ता को अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी और गत 31 जनवरी को वह रिटायर भी हो गया। जबकि सिविल सेवा नियम के तहत जांच रिपोर्ट मिलने के तत्काल बाद उस पर अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि प्रत्येक नियोक्ता को प्रयास करना चाहिए कि वह कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच छह माह में पूरी करे। राज्य सरकार के खिलाफ अधिकांश मुकदमें दायर होते है। ऐसे में प्रभारी अधिकारियों की जवाबदेही बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रभारी अधिकारी को निष्क्रिय रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यदि किसी विभाग में काम अधिक है तो अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी लगाए जा सकते हैं।

देवनानी से कानपुर के संत पीठाधीश्वर ने की मुलाकात

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से कानपुर के श्री नित्येश्वर आश्रम (उदासीन) के संत पीठाधीश्वर ने गुरूवार को विधान सभा में मुलाकात कर महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले श्री नित्येश्वर महादेव के महारूद्राभिषेक और विशाल भंडारा का निमंत्रण दिया। देवनानी ने संत श्री पीठाधीश्वर को सनातनी परम्परा के महापर्व पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी।

देवनानी को संत पीठाधीश्वर ने श्री नित्येश्वर ज्ञान गंगा की प्रति भेंट की। देवनानी को बताया कि पुस्तक में सनातन परम्परा और आध्यात्म विषयों से संबंधित तपस्या, वैराग्य, साधना, परमात्मा , वास्तविक शांति, पूजा, भक्ति, अराधना, पाप, पुण्य सहित आस्था और विश्वास से संबंधित आमजन के सामान्य प्रश्नों का सरलता से जवाब दिया गया है।

वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नति पर लगी रोक हटी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर से वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदोन्नित पर अप्रैल, 2023 में लगी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन विभाग में देने को कहा है। वहीं विभाग को इन अभ्यावेदन का दो सप्ताह में तय करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभ्यावेदन के निस्तारण तक याचिकाकर्ताओं के मामले में यथा-स्थिति रहेगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश गजेन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए। अदालती आदेश से 5168 कर्मचारियों की पदोन्नित का रास्ता साफ हो गया है।

याचिका में अधिवक्ता सुखदेव सिंह सोलंकी ने बताया कि 2 दिसंबर, 2019 को वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं का भी नाम था। वहीं बाद में वरिष्ठता में नहीं आने के चलते उनकी पदोन्नित नहीं हुई। याचिका में कहा गया कि विभाग ने साल 2013 से 2022-23 की रिक्तियों के विरूद्ध 23 जनवरी, 2023 को रिव्यू डीपीसी हुई। वहीं वरिष्ठता सूची बनाते समय आरक्षित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।